

बजटीय प्रबंधन

3.1 प्रस्तावना

यह अध्याय अनुपूरक अनुदानों सहित बजटीय प्रक्रिया और आवंटन प्राथमिकताओं की अखंडता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता और सहवर्ती वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करता है और यह आकलन करता है कि क्या नीतिगत स्तर पर लिए गए निर्णयों को निधियों के विपथन के बिना प्रशासनिक स्तर पर लागू किया जाता है।

3.2 बजट तैयार करने की प्रक्रिया

बजट बनाने की वार्षिक कवायद सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए दिशानिर्देश का विवरण देने का एक साधन है। छत्तीसगढ़ शासन बजट के लिए एक शीर्ष-पाद दृष्टिकोण का अनुसरण करती है। बजट तैयार करने में राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया मुख्यतः निम्नानुसार है—

➤ वित्तीय वर्ष की शुरुआत में वित्त विभाग केन्द्र और राज्य शासन द्वारा नीतिगत घोषणाओं पर उचित विचार करते हुए पिछले प्रवृत्तियों के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य को उपलब्ध होने वाले वित्तीय संसाधनों का प्रारंभिक आकलन करता है और जो किसी भी हाल के घटनाक्रम संसाधन उपलब्धता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता हो।

➤ अनुमानित संसाधनों की मात्रा के आधार पर वित्त विभाग वित्तीय वर्ष के लिए शासकीय व्यय का वहनीय स्तर निर्धारित करता है।


➤ बजट परिपत्र में विभागों द्वारा तैयार किए जाने वाले अनुमानों को प्रस्तुत करने और समीक्षा के लिए तारीखों का कैलेन्डर शामिल होता है। इसके साथ जेण्डर, चाइल्ड, कृषि और परिणामी बजट की तैयारी के लिए प्रक्रियात्मक विवरण शामिल किये गये हैं।

➤ इसके बाद वित्त विभाग भारत के नीति आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर राज्य के वित्तीय संसाधनों का विस्तृत आकलन करता है। इन अनुमानों में राजस्व अर्जित करने वाले विभागों के विभिन्न अदानों को भी शामिल किया गया है। स्थानीय निकायों और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के संसाधनों का एक अनुमान भी तैयार किया जाता है। विभागों से व्यय के बजट अनुमान प्राप्त करने के बाद वित्त विभाग इन अनुमानों की छानबीन करता है और उन्हें अंतिम रूप प्रदान करता है जिसके लिए यह विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करता है।

इस प्रकार, वित्त विभाग द्वारा अनुमानों को निर्धारित प्रारूपों में संकलित किया जाता है, जिनमें उन्हें विधानसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है और राज्य के संचित निधि से व्यय के लिए अनुमोदन के लिए अपना वार्षिक बजट और अनुदान/विनियोजन की मांगों को भी प्रस्तुत किया जाता है। मूल बजट राशि से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान/विनियोजन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, राज्य शासन विनियोजन की विभिन्न इकाईयों से निधियों का पुनर्विनियोजन/पुनः आवंटन भी करती है, जहाँ बचत प्रत्याशित है, उन इकाईयों को जहाँ वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की परिकल्पना (अनुदान/विनियोग के अंदर) की जाती है।

वर्ष 2022-23 के दौरान मूल और अनुपूरक बजट, व्यय और बचत सहित राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित कुल राशि को नीचे दिए गये चार्ट 3.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ के बजट एवं व्यय का सारांश



3.3 वित्तीय जबाबदेही और बजट की समीक्षा

3.3.1 जेण्डर बजट

जेण्डर बजट कुल बजट का हिस्सा है और इसे महिलाओं के विकास में सहायता के लिए बनाया गया है, महिलाओं से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है— (1) महिला-विशिष्ट योजनाएं जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित और (2) महिला समर्थक योजनाएं जिनमें बजट प्रावधान का कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं से संबंधित है।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य शासन ने 26 योजनाओं के लिए ₹1,870.85 करोड़ (मूल बजट ₹1,755.86 करोड़ और अनुपूरक बजट ₹114.99 करोड़) प्रावधानित किया जो 100 प्रतिशत महिला केन्द्रित योजनाओं के लिए है। कुल बजट ₹1,870.85 करोड़ में से, केवल ₹1,298.44 करोड़ (69.40 प्रतिशत) का व्यय किया गया और शेष ₹572.41 करोड़ (30.60 प्रतिशत) का व्यय नहीं किया गया। विवरण परिशिष्ट 3.1 में दिखाया गया है जिनमें से दो मामलों में कोई व्यय नहीं हुआ तथा एक मामले में व्यय बजटीय आवंटन से अधिक था।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य शासन ने 105 योजनाओं के लिए ₹12,377.73 करोड़ का बजट प्रावधान किया, जिसमें बजट का एक हिस्सा (न्यूनतम 30 प्रतिशत) महिला केन्द्रित कार्यों पर व्यय किया जाना था जिसका विशिष्ट उप-शीर्षो या उद्देश्य शीर्षो का विवरण प्रदान नहीं किया गया। जिस कारण महिला केन्द्रित योजनाओं पर व्यय की गई वास्तविक राशि को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

3.3.2 युवा बजट

युवा बजट समग्र बजट का हिस्सा है और युवाओं से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है—(1) युवा-विशिष्ट योजनाएं जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान युवाओं से संबंधित है, और (2) युवा समर्थक योजनाएं जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत बजट प्रावधान युवाओं से संबंधित है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य शासन ने 51 योजनाओं के लिए ₹2,313.73 करोड़ (मूल बजट ₹1,818.42 करोड़ और अनुपूरक बजट ₹495.31 करोड़) प्रावधान किया, जो 100 प्रतिशत युवा केन्द्रित है। ₹2,313.73 करोड़ के कुल बजट में से केवल ₹1,568.91 करोड़ (67.79 प्रतिशत) का व्यय किया गया और

₹745.35 करोड़ (32.21 प्रतिशत) का व्यय नहीं किया गया। विवरण परिशिष्ट 3.2 में दिखाया गया है इनमें से पांच मामलों में कोई व्यय नहीं हुआ और दो मामलों में व्यय बजटीय आबंटन से अधिक था।

कुल 50 योजनाओं के लिए ₹1,200.79 करोड़ का बजट प्रावधान जिसमें बजट का एक हिस्सा (न्यूनतम 50 प्रतिशत) युवा केन्द्रित कार्यों पर वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय किया जाना था, जिसके लिये विशिष्ट उप-शीर्ष या उद्देश्य शीर्ष निर्दिष्ट नहीं किया गया जिस कारण युवा-केन्द्रित योजनाओं पर व्यय की गई वास्तविक राशि को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सकता है।

3.3.3 कृषि बजट

इस बजट में कृषि क्षेत्र का विकास और किसानों की गतिविधियों के हितों के साथ-साथ इन गतिविधियों पर होने वाले व्यय की जानकारी भी शामिल है।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य शासन ने 12 विभागों¹ के अंतरगत 244 कृषि योजनाओं के लिए ₹23,131.75 करोड़ (मूल बजट ₹20,404.57 करोड़ और अनुपूरक बजट ₹2,727.18 करोड़) का बजट प्रावधान किया। इस कुल बजट में से ₹19,281.13 करोड़ (83.35 प्रतिशत) का व्यय और शेष ₹3,902.52 करोड़ (16.65 प्रतिशत) व्यय नहीं किया गया।

3.3.4 चाइल्ड बजट

इस बजट का उद्देश्य 0-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का सामाजिक विकास, संरक्षण, ज्ञान प्रबंधन, स्वास्थ्य और पोषण और उनके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखना है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने छह विभागों² के तहत 62 योजनाओं के लिए बजट में ₹10,087.32 करोड़ रुपये प्रदान किया। इसमें से ₹5,972.19 करोड़ रुपये का बजट 49 योजनाओं के लिए आवंटित किया गया था जो 100 प्रतिशत बाल-केन्द्रित हैं। ₹4,687.44 करोड़ (78.49 प्रतिशत) का व्यय किया गया था और शेष ₹1,284.74 करोड़ (21.51 प्रतिशत) व्यय नहीं किया गया।

3.3.5 बजट लक्ष्य प्राप्ति

कुल बजट परिणाम

सकल बजट परिव्यय उस सीमा को मापता है जिस तक कुल बजट व्यय परिणाम वास्तविक व्यय मूल रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है, अनुमोदित से कम और अनुमोदित से अधिक के संदर्भ में।

तालिका 3.1: समग्र बजट परिणाम

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल बजट ³	वास्तविक व्यय ⁴	मूल बजट और वास्तविक व्यय के बीच अंतर
राजस्व व्यय	90,188.75	86,876.55	3,312.20
पूँजीगत व्यय	22,414.65	23,536.46	(-)1,121.81
कुल	1,12,603.40	1,10,413.01	2,190.39

स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2022-23

¹ कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मछली पालन विभाग, सहकारिता विभाग, जल संसाधन विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत और ग्रामीण विभाग, वन विभाग, उर्जा विभाग, वित्त विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, ग्रामीण उद्योग विभाग

² श्रम विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, और महिला एवं बाल विकास विभाग

³ इसमें व्यय में कमी के समायोजन की वसूली शामिल नहीं है।

⁴ इसमें व्यय में कमी के समायोजन की वसूली शामिल नहीं है।

राजस्व व्यय खंड में, मूल बजट की तुलना में परिणाम में विचलन (-)3.67 प्रतिशत था। यह 39 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 19 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत, छह अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच और एक अनुदान में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के बीच विचलन के कारण था।

पूँजीगत व्यय खंड में, मूल बजट की तुलना में परिणाम में विचलन 5.00 प्रतिशत था। यह 21 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 18 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के बीच, 23 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच और तीन अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के बीच विचलन के कारण था। हालांकि, पूँजीगत खंड के एक अनुदान के संबंध में कोई मूल बजट प्रावधान नहीं किया गया था।

व्यय संरचना परिणाम

व्यय संरचना परिणाम इस बात को मापता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुर्न आवंटन ने व्यय संरचना में भिन्नता में योगदान दिया है।

तालिका 3.2: व्यय संरचना परिणाम

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुमोदित	संशोधित अनुमान (पुनः)	वास्तविक व्यय	अंतर मूल अनुमोदित और संशोधित अनुमान के बीच	अंतर वास्तविक व्यय और संशोधित अनुमान के बीच
राजस्व व्यय	90,188.75	95,247.10	86,876.55	5,058.35	(-) 8,370.55
पूँजीगत व्यय	22,414.65	26,594.97	23,536.46	4,180.32	(-) 3,058.51
कुल	1,12,603.40	1,21,842.07	1,10,413.01	9,238.67	(-) 11,429.06

स्रोत : विनियोग खाता 2022-23 और बजट पुस्तकें 2023-24

राजस्व व्यय खंड में, संशोधित अनुमान की तुलना में विचलन (-)8.79 प्रतिशत था। यह 37 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 16 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत, 12 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। राजस्व अनुभाग के छह अनुदानों (अनुदान संख्या 42, 57, 68, 75, 76 और एक विनियोग- लोक ऋण) में कोई राजस्व प्रावधान नहीं किया गया था।

पूँजीगत व्यय खंड में, संशोधित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-)11.50 प्रतिशत था। यह 23 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 11 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत, 32 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। हालांकि, पूँजी अनुभाग के पांच अनुदानों (अनुदान संख्या 22, 35, 49, 50 और एक विनियोग-ब्याज भुगतान) के संबंध में कोई पूँजीगत प्रावधान नहीं किया गया था।

3.3.6 मुख्य नीतिगत पहल/नई योजनाएं

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अपना बजट प्रस्तुत करते समय राज्य सरकार ने ₹1,294.52 करोड़ के आवंटन के साथ कुल 42 प्रमुख नीतिगत पहलों/नई योजनाओं की घोषणा की, हालांकि, सात योजनाओं में न तो बजट प्रावधान किया गया और न ही व्यय किया गया। कुल 42 प्रमुख नीतिगत पहलों/नई योजनाओं में से, इसने विभिन्न विभागों को शामिल करते हुए छह प्रमुख नीतिगत पहलों/नई योजनाओं (एक करोड़ और अधिक) के तहत कुल ₹42.93 करोड़ का बजट प्रदान किया, जिसमें वर्ष के दौरान कोई

व्यय नहीं किया गया था, जिसका विवरण परिशिष्ट 3.3 में दिखाया गया है।

3.4 विनियोग लेखा

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा से यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि क्या व्यय विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत वास्तविक रूप से किया है जो विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए प्राधिकार के अनुरूप है और जो व्यय संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के तहत भारित किये जाने के लिए आवश्यक हो वह व्यय भारित किया गया है। लेखापरीक्षा यह भी सुनिश्चित करती है कि व्यय जिस प्रकार किया गया है वह व्यय विधि संबंधित नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है या नहीं।

3.4.1 विनियोग लेखों का सारांश

वर्ष 2022-23 के दौरान 71 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध अनुपूरक बजट सहित मूल बजट, वास्तविक व्यय और आधिक्य/बचत के सारांश की स्थिति तालिका 3.3 दर्शायी गई है।

तालिका 3.3: बजट प्रावधानों की तुलना में व्यय की स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल बजट	व्यय	बचत (-)	आधिक्य (+)	माह मार्च में किये गये समर्पण की राशि
दत्तमत	राजस्व	82,656.54	8,723.70	91,380.24	79,993.17	-11,428.84 (12.51)	41.77 (0.05)	12,950.96 (113.32)
	पूँजीगत	15,888.95	2,647.56	18,536.50	13,749.42	-4,787.08 (25.83)	0.00	4,775.16 (99.85)
	ऋण तथा अग्रिमों	500.43	0.26	500.69	171.53	-329.16 (65.74)	0.00	323.78 (98.37)
	कुल दत्तमत	99,045.91	11,371.52	1,10,417.43	93,914.12	-16,545.08 (14.98)	41.77 (0.05)	18,049.90 (109.10)
भारित	राजस्व	7,532.21	67.86	7,600.07	6,883.38	-716.71 (9.43)	0.01	709.73 (99.03)
	पूँजीगत	13.38	6.40	19.78	14.79	-4.99 (25.21)	0.00	4.97 (99.68)
	लोक ऋण	6,011.90	0.00	6,011.90	9,600.72	0.00	3,588.82 (59.70)	116.91
	कुल भारित	13,557.49	74.26	13,631.75	16,498.89	-721.70 (5.29)	3,588.83 (26.33)	831.61 (115.23)
कुल योग	1,12,603.40	11,445.78	1,24,049.18	1,10,413.01	-17,226.78 (13.92)	3,630.60 (2.93)	18,881.51 (109.35)	

स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2022-23


कुल बचत ₹17,266.78 करोड़ (कुल अनुदान/विनियोग का 13.92 प्रतिशत) थी, और ₹18,959.11 करोड़ समर्पित किया गया था। कुल समर्पित राशि ₹18,959.11 करोड़ में से ₹18,881.51 करोड़ (99.59 प्रतिशत) की राशि को मार्च के महीने में समर्पित किया गया, जिससे अन्य विकास उद्देश्यों के लिए इन निधियों के उपयोग की कोई संभावना नहीं रह गयी। चूंकि शासन मूल प्रावधान का उपयोग नहीं कर सकी, इसलिए ₹11,445.78 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ।

3.4.2 बजटीय निधि का उपयोग

राज्य द्वारा बजटीय निधि का उपयोग पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उप-युक्ततम रहा है, वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान बजट के उपयोग की सीमा नीचे दर्शायी

गई है।

चार्ट 3.2: वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान बजट का उपयोग



स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

बजट के उपयोग का प्रतिशत वर्ष 2018-19 में 72.01 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 के दौरान 89.01 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, धन का उपयोग वर्ष 2021-22 में 87.37 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में कुल बजटीय प्रावधान का 89.01 प्रतिशत हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष राजस्व व्यय में मुख्य रूप से वेतन, सब्सिडी और अनुदान सहायता घटकों में वृद्धि हुई थी।

तालिका 3.4: 2018-23 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय


(₹ करोड़ में)

व्योरा	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
मूल बजट	87,463.61	95,899.45	1,02,907.42	1,05,212.73	1,12,603.40
अनुपूरक बजट	17,706.90	11,013.99	7,042.84	5,086.56	11,445.78
कुल बजट (क)	1,05,170.51	1,06,913.44	1,09,950.26	1,10,299.29	1,24,049.19
संशोधित अनुमान (ख)	97,063.96	1,02,579.99	98,842.36	1,07,239.96	1,21,842.07
वास्तविक व्यय (ग)	75,733.43	92,261.33	89,299.70	96,368.41	1,10,413.01
निवल बचत (क-ग)	29,437.08	14,652.11	20,650.56	13,930.88	13,636.18
मूल प्रावधान के अनुपूरक का प्रतिशत	20.24	11.48	6.84	4.83	10.16
समग्र प्रावधान में समग्र बचत/अधिकता का प्रतिशत	27.99	13.70	18.78	12.63	10.99
क-ख	8,106.55	4,333.45	11,107.90	3,059.33	2,207.12
ख-ग	21,330.53	10,318.66	9,542.66	10,871.55	11,429.06
(क-ख) कुल बजट के % के रूप में	7.71	4.05	10.10	2.77	1.78
(ख-ग) संशोधित अनुमान के % के रूप में	21.98	10.06	9.65	10.14	9.38

स्रोत विनियोग खाता 2022-23 और बजट पुस्तकें 2019-24

पिछली तालिका से पता चलता है कि 2022-23 के दौरान ₹11,445.78 करोड़ का पूरक प्रावधान पिछले वर्ष के 4.83 प्रतिशत के मुकाबले मूल प्रावधान का 10.16 प्रतिशत था। साथ ही, वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया।

चार्ट 3.3: 2018-19 से 2022-23 के दौरान कुल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय दिखाने की प्रवृत्ति



उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक के वर्षों में, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय हमेशा राज्य के कुल बजट से कम था तथा संशोधित अनुमान और कुल बजट के बीच अनुमान त्रुटि को दर्शाते हुए ₹5,762.87 करोड़ रुपये का औसत अंतर था।

प्रतिशत के संदर्भ में, संशोधित अनुमान वर्ष 2018-19 में कुल बजट की तुलना में 7.71 प्रतिशत कम था जो 2022-23 में घटकर 1.78 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, पांच साल की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय भी संशोधित अनुमान से कम था और संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय के बीच अंतर प्रतिशत 9.38 प्रतिशत और 21.98 प्रतिशत के बीच रहा।

यह दर्शाता है कि बजटीय आवंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे क्योंकि राज्य के बजट अनुमान हमेशा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए जाते थे और वास्तविक व्यय बजटीय प्रावधानों से कम था।

3.5 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की अखंडता पर टिप्पणियां

3.5.1 राजस्व व्यय के रूप में पूँजीगत व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

सहायता अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के संबंध में भारत सरकार लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.)-2 यह निर्धारित करता है कि अनुदानकर्ता द्वारा वितरित सहायता अनुदान और अनुदानकर्ता के वित्तीय विवरणों में राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत और लेखांकन किया जायेगा, भले ही जिन उद्देश्यों के लिये धन का वितरण किया गया हो। केवल भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत प्रकरणों में इन पर शासन के वित्तीय विवरणों में पूँजीगत शीर्ष लेखे में डेबिट किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, शासकीय लेखे नियम 1990 के नियम 30 और मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता खंड-एक (जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसरण किया गया है) की कंडिका 324 में यह निर्धारित करने के लिए मापदंड है कि व्यय को समेकित निधि के पूँजीगत अनुभाग या राजस्व अनुभाग के शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए या नहीं।

पूँजीगत खंड में वर्गीकृत की जाने वाली पूँजी प्रकृति के व्यय को मोटे तौर पर एक भौतिक और स्थायी

चरित्र की ठोस परिसंपत्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया जाएगा। अस्थायी संपत्ति पर व्यय या स्थानीय निकायों या संस्थानों को संपत्ति बनाने के उद्देश्य से सहायता अनुदान पर व्यय, जो इन स्थानीय निकायों या संस्थानों से संबंधित होगा, को आमतौर पर पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, सिवाय उन मामलों के जिन्हें नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किया जाता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, छत्तीसगढ़ शासन ने पूंजीगत खंड के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए प्रदान किए गए ₹2,840.61 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान किए और सहायता अनुदान को गलत तरीके से वर्गीकृत किया। इसके अलावा, वस्तु शीर्ष 45, कार्यालय व्यय (₹6.87 करोड़), पेशेवर सेवाओं के लिए भुगतान (₹3.59 करोड़) और अन्य जीआईए (₹43.15 करोड़) के तहत दर्ज सहायता अनुदान के गलत वर्गीकरण को भी पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया था। वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान पूंजीगत व्यय के रूप में सहायता अनुदान का व्यय तालिका 3.5 में दर्शाया गया है।


तालिका 3.5: पूंजीगत व्यय के रूप में सहायता अनुदान के वर्गीकरण का विस्तार

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया सहायता अनुदान	1,998.74	1,939.61	1,865.85	2,227.04	2,883.76
2	कुल पूंजीगत व्यय	8,903.45	8,566.39	9,024.19	10,504.22	13,320.30
3	पूंजीगत व्यय में सहायता अनुदान के अंश (%)	22.45	22.64	20.68	21.20	21.65

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 3.4: पूंजीगत व्यय के रूप में सहायता अनुदान का गलत वर्गीकरण



स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

औसतन, सरकार ने पूंजीगत व्यय के तहत अनुदान सहायता को गलत तरीके से वर्गीकृत किया है, जो पिछले पांच वर्षों में कुल पूंजीगत व्यय का 21.72 प्रतिशत है।

3.5.2 अनावश्यक एवं अत्याधिक अनुपूरक अनुदान

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य विधान मण्डल द्वारा ₹11,445.78 करोड़ के तीन अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गयी। इन अनुपूरक आबंटन के उपयोग के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला है कि 25 अनुदान/विनियोग से संबंधित 31 प्रकरणों में, वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए प्रत्येक मामले में ₹50 लाख या उससे अधिक के पूरक प्रावधान ₹1,853.65 करोड़ प्राप्त हुए जो पूरी तरह से अनावश्यक साबित हुए क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था। विवरण परिशिष्ट 3.4 में दर्शाया गया है।

कुल 13 अनुदानों/विनियोगों में मूल बजट प्रावधान में से ₹100 करोड़ और उससे अधिक की महत्वपूर्ण

बचत थी, फिर भी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया था। विवरण नीचे तालिका 3.6 में दिया गया है।

तालिका 3.6: ऐसे प्रकरण जहाँ मूल बजट प्रावधान से ₹100 करोड़ और अधिक बचत थी फिर भी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किये गये

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	
						राशि	प्रतिशत
राजस्व (दत्तमत)							
1	03	पुलिस	5,430.57	2.56	4,703.43	-727.14	13.39
2	08	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	1,269.02	137.92	1,051.51	-217.50	17.14
3	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	464.02	0.10	359.65	-104.37	22.49
4	19	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2,776.67	339.93	2,638.62	-138.05	4.97
5	24	लोक निर्माण-सड़कें और पुल	938.26	260.27	660.96	-277.29	29.55
6	27	स्कूल शिक्षा	5,598.17	2.70	5,167.71	-430.46	7.69
7	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	2875.80	539.81	2521.37	-354.43	12.32
8	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति योजना विभाग	363.78	14.00	249.29	-114.49	31.47
9	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	1,121.18	24.35	756.13	-365.05	32.56
10	66	पिछड़े वर्गों का कल्याण	235.55	151.04	50.83	-184.73	78.42
11	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	1,018.65	36.00	820.77	-197.88	19.43
12	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1,869.47	3.00	1,764.03	-105.44	5.64
कुल राजस्व दत्तमत			23,961.14	1,511.68	20,744.29	-3,216.84	13.43
पूँजीगत (दत्तमत)							
13	24	लोक निर्माण-सड़कें और पुल	1,667.51	100.00	1,379.43	-288.08	17.28
14	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	800.32	3.96	454.27	-346.05	43.24
कुल पूँजीगत दत्तमत			2,467.83	103.96	1,833.70	-634.13	25.69
कुल योग			26,428.97	1,615.64	22,577.99	-3,850.97	14.57

स्रोत : विनियोग लेखे 2022-23

लेखापरीक्षा विश्लेषण से यह भी पता चला है कि 71 अनुदानों में से 27 अनुदानों में अंतिम व्यय मूल प्रावधानों से कम था। अतः लिया गया अनुपूरक प्रावधान खराब बजटीय प्रबंधन को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, 18 उप-शीर्षों के अंतर्गत, प्रत्येक मामले में ₹171.40 करोड़ की राशि के एक करोड़ या अधिक के संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था जैसा कि तालिका 3.7 में दर्शाया गया है। यह इंगित करता है कि अनुपूरक प्रावधान आवश्यकता के वास्तविक अनुमान के बिना किए गए थे और यह गुणहीन बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

तालिका 3.7: विवरण जहाँ संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान (₹एक करोड़ और अधिक) अनुपयोगी रहा

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान
1	36-2041-0-101-0-4280- संग्रह शुल्क	0.01	1.00	1.01
2	71-5275-0-101-101-7892- भारत नेट परियोजना के लिए कार्यान्वयन	0.00	65.00	65.00
3	66-2202-2-109-704-8050- छात्रवृत्ति	0.00	60.00	60.00
4	71-5275-0-101-101-6681- छत्तीसगढ़ राज्य-जी.आई.एस. परियोजना	0.00	16.90	16.90
5	55-2235-2-103-701-6641- वन स्टॉप सेंटर (सखी)	0.00	4.80	4.80
6	41-2235-2-103-702-6641- वन स्टॉप सेंटर (सखी)	0.00	3.70	3.70
7	64-4700-10-800-703-5516-वृहद सिंचाई परियोजना- निर्माण कार्य	0.00	2.50	2.50

8	64-4700-10-800-706-5516-वृहद सिंचाई परियोजना- निर्माण कार्य	0.00	2.50	2.50
9	64-4700-11-800-703-5516- वृहद सिंचाई परियोजना- निर्माण कार्य	0.00	2.50	2.50
10	64-4700-11-800-706-5516- वृहद सिंचाई परियोजना- निर्माण कार्य	0.00	2.50	2.50
11	55-2235-2-103-101-6686-एकीकृत डिजिटल अनुप्रयोग योजना (उदय एस.डी. जी.)	0.00	1.90	1.90
12	55-2235-2-103-701-6642- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	0.00	1.60	1.60
13	41-2235-2-103-702-6642- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	0.00	1.40	1.40
14	64-2235-2-103-703-6641-वन स्टॉप सेंटर (सखी)	0.00	1.10	1.10
15	64-4225-1-102-103-5616-गिरौदपुरी और भंडारपुरी का एकीकृत विकास	4.00	1.00	5.00
16	41-4235-2-103-702-6641-वन स्टॉप सेंटर (सखी)	0.00	1.00	1.00
17	55-4235-2-103-701-6641-वन स्टॉप सेंटर (सखी)	0.00	1.00	1.00
18	64-4235-2-103-703-6641-वन स्टॉप सेंटर (सखी)	0.00	1.00	1.00
कुल		4.01	171.40	175.41

स्रोत : विनियोग लेखे 2022-23

3.5.3 अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन में, एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा, अनुदान में एक इकाई (राजस्व-दत्त, राजस्व-भारित, पूँजी-दत्त, पूँजी-भारित) जहाँ बचत की प्रत्याशा होती है, दूसरी इकाई को जहाँ अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है वहाँ धन का हस्तांतरण होता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, 8 अनुदानों से संबंधित 14 प्रकरणों में, पुनर्विनियोजन के बाद अतिरिक्त/बचत थी, जैसा कि तालिका 3.8 में विस्तृत है, यह दर्शाता है कि प्रशासन द्वारा पुनर्विनियोजन पर्याप्त आंकलन के बिना किए गए थे और यह खराब वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है।

तालिका 3.8: अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

अनुदान क्रमांक	मूल	अनुपूरक	पुन- विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	समापक अधिक्य (+) /कमी (-)
08-2053-0-93-1510- जिला स्थापना	334.36	0.00	6.88	341.24	323.41	-17.84
23-4700-11-800-704-5516- वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	-7.00
67-2059-80-1-101-3566- मुख्यालय स्थापना	31.22	0.00	0.23	31.45	28.57	-2.88
19-2210-1-200-101-8631- कॉर्पस वेसल स्कीम	11.00	0.00	0.59	11.59	10.93	-0.67
67-2059-1-53-2449- न्याय प्रशासन (न्यायालय भवनों का रखरखाव)	13.00	0.00	0.62	13.62	12.97	-0.65
67-2059-60-53-7425- नए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का रखरखाव	1.50	0.00	0.46	1.96	1.46	-0.50
55-2235-2-103-704-6647- शक्ति सदन	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	-0.48
01-2013-0-101-3282- मंत्रियों का वेतन	1.40	0.00	0.26	1.66	1.20	-0.46
55-2235-2-103-701-6647- शक्ति सदन	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	-0.24
08-2029-0-103-3150- भूमि सर्वेक्षण	2.85	0.00	0.21	3.06	2.82	-0.24
55-2235-2-103-704-6649- सखी निवास	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	-0.12
64-5054-3-101-103-7976- जवाहर सेतु योजना	4.40	0.00	3.22	7.62	7.52	-0.10
64-2210-6-101-703-6441- कोविड-19 संक्रमण का उपचार और रोकथाम	0.01	0.00	0.04	0.05	0.00	-0.05
23-2701-19-101-2250- नहरें और टैंक	0.48	0.00	0.03	0.51	0.48	-0.03
कुल	400.22	0.00	20.38	420.60	389.36	-31.26

स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2022-23

3.5.4 उप-शीर्षों के तहत संपूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया

92 प्रकरणों में, 29 अनुदानों और दो विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न उप-शीर्षों में ₹10 करोड़ और उससे अधिक के सम्पूर्ण प्रावधान ₹4,075.79 करोड़ अप्रयुक्त रहें जिसका विवरण परिशिष्ट 3.5 में दिया गया है। इनमें से महत्वपूर्ण प्रकरण, जहाँ 100 करोड़ और उससे अधिक के बिना उपयोग किए गए बजट प्रावधान तालिका 3.9 में नीचे दिये गए हैं।

तालिका 3.9: बिना उपयोग बजट प्रावधान का विवरण ₹100 करोड़ और उससे अधिक

नाम	मूल	व्यय	(₹ करोड़ में)
			राशि पुनः विनियोजित
CH2- 2049- 01- 101- 2199- नया बाजार ऋण	275.00	0.00	275.00
20-4215-1-102-701-6383- जल जीवन मिशन योजना	234.63	0.00	234.63
19-2210-6-200-801-6613- 15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान	227.00	0.00	227.00
81-6215-1-101-101-7845-नगरीय निकायों की जल संवर्धन योजना	200.00	0.00	200.00
41-4215-1-102-702-6383-जल जीवन मिशन योजना	181.50	0.00	181.50
41-2210-6-200-802-6613-15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान	172.52	0.00	172.52
8-2029-0-797-0-6753-पर्यावरण निधि का हस्तांतरण	122.75	0.00	122.75
8-2029-0-797-0-6754- अवसंरचना विकास निधि में अंतरण	122.75	0.00	122.75
41-4225-2-102-802-5024-आदिवासी विशेष पिछड़ा वर्ग	110.00	0.00	110.00
13-2401-0-800-1201-6353-चिराग योजना	100.00	0.00	100.00
कुल	1,746.15	0.00	1,746.15

स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2022-23

उपर्युक्त मामलों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 6383- जल जीवन मिशन योजना के तहत, भारत सरकार द्वारा सीधे जल जीवन मिशन एस्क्रो खाते में धनराशि जारी की गई थी, और निधि की अनुपलब्धता के कारण केन्द्रीय और राज्य अंश के संपूर्ण प्रावधान को पुनर्विनियोजित किया गया जिससे शून्य व्यय हुआ।

इसके अलावा, वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 के दौरान 6753-पर्यावरण निधि के हस्तांतरण और 6754- बुनियादी ढांचा विकास निधियों में हस्तांतरण में लगातार शून्य व्यय देखा गया। पूरे प्रावधान का उपयोग न करने के कारणों की जानकारी विभाग द्वारा नहीं दी गई।

3.5.5 बृहद बचत/समर्पण

कुल बचत ₹17,266.78 करोड़ के एवज में ₹100 करोड़ से अधिक की बचत 31 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत हुई, ₹15,047.48 करोड़ की राशि जो वर्ष के दौरान समग्र बचत का 87.15 प्रतिशत है जैसा कि परिशिष्ट 3.6 में विस्तृत है। इन 31 अनुदानों/विनियोजनों में से ₹500 करोड़ से अधिक की बचत नौ अनुदानों में देखी गई जिसकी राशि ₹8,279.98 करोड़ रुपये थी जैसा कि परिशिष्ट 3.7 में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त 60 अनुदानों में ₹10 करोड़ से अधिक के समर्पण किए गए की कुल राशि ₹18,916.87 करोड़ है जैसा कि परिशिष्ट 3.8 में विस्तृत है।

कुल 71 अनुदानों/विनियोजनों में से आठ अनुदानों/विनियोग में आबंटन का 50 प्रतिशत से कम उपयोग हुआ जिसके कारण वर्ष 2022-23 में बृहद बचत हुई। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक की पाँच वर्ष की अवधि में इन आठ अनुदानों/विनियोजनों में बजटीय आबंटन का उपयोग तालिका 3.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.10: अनुदान/विनियोग जहाँ बजट का उपयोग 50 प्रतिशत से कम

क्र.सं.	अनुदान का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	वर्षों की संख्या	बजट 2022-23	कुल बजट (पाँच वर्ष)
		बजट का उपयोग (प्रतिशत)						(₹ करोड़ में)	
1	04- गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	59	57	34	56	45	2	103.05	507.32
2	68- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना से संबंधित लोक निर्माण भवन	48	40	36	69	42	4	129.21	705.14
3	46- विज्ञान और प्रौद्योगिकी	35	34	34	36	39	5	25.35	123.58
4	71- सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी	22	77	37	63	33	3	279.01	1,698.29
5	09- राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	37	58	24	37	30	4	21.94	107.40
6	75- डब्ल्यू.आर.डी. से संबंधित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं	66	29	25	23	24	4	689.71	3,486.58
7	66- पिछड़े वर्गों का कल्याण	56	58	59	71	15	1	404.75	1,469.73
8	57- जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं			00	00	00	3	2.00	109.00

*50 प्रतिशत से कम उपयोग के साथ वर्षों की संख्या

स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

बजट का कम उपयोग बड़े हुए बजटीय प्रावधानों का संकेत है। बड़े हुए बजट, संसाधन आवंटन, परियोजना नियोजन और वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित करते हैं। इसमें सरकार द्वारा गहन समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है ताकि शीघ्र सुधारात्मक उपाय शुरू किए जा सकें। अनुदान 46- विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बार-बार कम उपयोग के कारण की जांच सरकार द्वारा की जा सकती है, और सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

बजटीय प्रावधान का उपयोग करने में असमर्थता, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को संसाधनों के आबंधन से वंचित करती है और लोक वित्त पर कमजोर विधायी नियंत्रण की ओर भी ले जाती है।

3.5.6 बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध/अपूर्ण स्पष्टीकरण

स्वीकृत बजट के विरुद्ध व्यय दर्शाने के अतिरिक्त, विनियोग खाते उन प्रकरणों के लिए स्पष्टीकरण भी प्रदान करते हैं जहाँ व्यय बजट प्रावधान (मूल तथा अनुपूरक) से काफी भिन्न होता है। विनियोग लेखाओं में उप-शीर्ष/उप-उप-शीर्ष स्तर (विनियोग की इकाई) पर इस प्रकार के अंतर को किस सीमा से परे स्पष्ट किया जाना है, यह लोक-लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा निर्धारित किया जाता है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को विनियोग खाते का प्रारूप प्रदान करता है और लोक-लेखा समिति द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार अनुमोदित बजटीय आबंधन के संदर्भ में व्यय में भिन्नता के कारणों/स्पष्टीकरण की मांग करता है।

विनियोग लेखों में शामिल की जाने वाली टिप्पणियों के लिए उप-शीर्षों के चयन के लिए लोक-लेखा समिति द्वारा निम्नलिखित मापदंड (अतिरिक्त/बचत) निर्धारित किए गए हैं-


1. टिप्पणियाँ बचत (दत्तमत) पर की जानी है:

- कुल प्रावधान (मूल के साथ अनुपूरक) के 2 प्रतिशत से अधिक की बचत।
- ₹10 करोड़ से कम अनुदान के प्रकरणों में ₹5 लाख से अधिक की बचत के लिए व्यक्तिगत उप शीर्ष।
- ₹10 करोड़ और ₹30 करोड़ के बीच के अनुदान के प्रकरणों में ₹10 लाख से अधिक की बचत के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।

- ₹30 करोड़ से अधिक अनुदान के प्रकरणों में ₹20 लाख से अधिक की बचत के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
- 2. टिप्पणियाँ उन सभी उप-प्रमुखों के लिए बचत (भारित) पर की जानी चाहिए, जहाँ भिन्नता ₹5 लाख से अधिक है।
- 3. टिप्पणियाँ अतिरिक्त (दत्तमत) पर की जानी है:
 - ₹10 करोड़ से कम अनुदान के प्रकरणों में ₹5 लाख से अधिक के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
 - ₹10 करोड़ और ₹30 करोड़ के बीच अनुदान के प्रकरणों में ₹10 लाख से अधिक के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
 - ₹30 करोड़ से अधिक अनुदान के प्रकरणों में ₹20 लाख से अधिक के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
 - उन सभी प्रकरणों में प्रावधान से अधिक के नियमितीकरण के लिए सामान्य टिप्पणियाँ की जाएगी जहाँ अनुदान में कुल अतिरिक्त (कोई भी राशि) है।
- 4. टिप्पणियाँ सभी उप-शीर्षों के लिए अतिरिक्त (भारित) पर की जानी चाहिए, जहाँ भिन्नता ₹5 लाख से अधिक है।

वर्ष 2022-23 के विनियोग लेखे के लेखापरीक्षा के दौरान पता चला कि लगभग 36.04 प्रतिशत प्रकरणों में नियंत्रक अधिकारी ने व्यय के आधार पर बजट आबंटन में बदलाव के लिए स्पष्टीकरण नहीं दिया है। कुल 3,836 उप-शीर्षों में से 1,457 उप-शीर्षों के संबंध में भिन्नता के कारणों की आवश्यकता थी जैसा कि परिशिष्ट 3.9 में दर्शाया गया है, तथापि, सरकारी विभागों के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा 946 उप-शीर्षों में भिन्नता के उचित कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे। उप-शीर्षों के संबंध में, लेखों में उप-शीर्षों की कुल संख्या, जिन्हें विविधताओं के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता और उप-शीर्षों जहाँ आबंटन से भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त किए गए थे, चार्ट 3.5 में दिए गए हैं।

चार्ट 3.5: विनियोग खाता में परिवर्तन के लिए सारांश



बजटीय आबंटन और इसके उपयोग के बीच भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति, शासन की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के साधन के रूप में बजट पर विधायी नियंत्रण को सीमित करती है।

3.5.7 अतिरिक्त व्यय और इसका नियमितीकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205(1)(ख) के अनुसार, यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस सेवा के लिए अनुदत्त रकम से अधिक कोई धन व्यय किया गया है और उस वर्ष के लिए राज्यपाल उस व्यय की प्राक्कलित रकम को दर्शाते हुए या राज्य की विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले कार्रवाई को दर्शाते हुए एक अन्य विवरण रखवाएगा इस तरह की अधिकता के लिए। इसलिए, राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह अनुदान/विनियोग से अधिक व्यय को विधान सभा में प्रस्तुत करके नियमित करवाए।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एक अनुदान और दो विनियोजन के अंतर्गत राज्य विधानसभा द्वारा किए गए प्राधिकरण पर ₹3,630.60 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण था। यह मुख्य रूप से एमएच 6003-112-6471- विशेष निकासी सुविधा के तहत राज्य सरकार द्वारा बजट प्रावधान से अधिक की गई विशेष निकासी सुविधा के तहत ₹3,705.73 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय के कारण था, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकार को दिए गए अस्थायी ऋण की भरपाई के लिए विशेष आहरण सुविधा के तहत ट्रेजरी बिलों में निवेश के खिलाफ संपार्श्विक अग्रिम के रूप में था। विवरण नीचे तालिका 3.11 में दिया गया।

तालिका 3.11: वर्ष 2022-23 के दौरान प्रावधानों से अतिरिक्त व्यय की नियमितीकरण की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	अनुदान संख्या	अनुदान विवरण	कुल अनुदान/ विनियोग	कुल व्यय	आधिक्य व्यय
राजस्व दत्तमत						
1	वित्त विभाग	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	7,735.03	7,776.80	41.77
राजस्व भारित						
2	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	0.00	0.01	0.01
पूँजीगत भारित						
3	—	CH1	लोक ऋण	6,011.90	9,600.72	3,588.82
कुल				13,746.93	17,377.53	3,630.60

स्रोत : विनियोग लेखे 2022-23

वर्ष में प्रावधान से अधिक व्यय न ही केवल विधायी स्वीकृति की आवश्यकता वाले प्रावधानों का उल्लंघन है, अपितु खराब नियोजन का भी संकेत है, जिसे उद्देश्य के लिए बनाए गए बजट के साथ व्यय की प्रगति कि निगरानी रखने से बचा जा सकता था।

वर्ष 2000-01 से 2021-22 के लिए प्रावधान की तुलना में ₹17,436.39 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को अभी नियमित नहीं किया गया है, जिसे परिशिष्ट 3.10 में दर्शाया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 (3) एवं अनुच्छेद 205 का उल्लंघन है जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधानसभा द्वारा विधि द्वारा किए गए विनियोग के अतिरिक्त राज्य के समेकित कोष से कोई भी पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को प्रभावित करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है। राज्य सरकार अतिरिक्त व्यय को नियमित न करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर सकती है।

वर्ष 2000-01 से 2021-22 की अवधि के दौरान विधायी प्राधिकरण पर अतिरिक्त व्यय का विवरण तालिका 3.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.12: वर्ष 2000-01 से 2021-22 के दौरान प्रावधानों से अतिरिक्त व्यय की नियमितीकरण की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	अनुदानों की संख्या	विनियोग की संख्या	आधिक्य राशि
1	2000-01	11	2	10.21
2	2001-02	14	2	115.90
3	2002-03	8	2	114.59
4	2003-04	4	2	591.12
5	2004-05	4	5	133.36
6	2005-06	4	2	23.27
7	2006-07	4	1	5.13
8	2007-08	3	3	15.99

9	2008-09	9	1	115.26
10	2009-10	10	5	216.77
11	2010-11	22	6	293.78
12	2011-12	24	1	498.09
13	2012-13	2	2	0.96
14	2013-14	3	3	178.96
15	2014-15	4	2	833.54
16	2015-16	3	2	98.24
17	2016-17	2	3	12.38
18	2017-18	3	3	2.61
19	2018-19	2	4	1.67
20	2019-20	3	4	6,682.69
21	2020-21	2	2	3,432.11
22	2021-22	2	3	4,059.76
कुल		143	60	17,436.39

स्रोत : संबंधित वर्ष के विनियोग लेखे

विनियोग लेखाओ की लेखापरीक्षा ने वर्ष 2022-23 के दौरान 17 मुख्य शीर्षों में सात अनुदानों/विनियोजन के अंतर्गत प्राधिकार पर ₹3,866.58 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण किया गया जिसका विवरण परिशिष्ट 3.11 में दिखाया गया है।

3.6 व्यय की अतिवेग

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसरण किया गया है) के अनुच्छेद 92 के अनुसार, विशेषकर वित्तीय वर्ष के समापन महीनों में व्यय की अतिवेग से बचा जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की अतिवेग को वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है।

राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से व्यय को विनियमित करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान व्यय करने के लिए अधिकतम सीमा (पहली छमाही - 45 प्रतिशत, दूसरी छमाही - 55 प्रतिशत और मार्च के महीने में 20 प्रतिशत) निर्धारित की है। 25 अनुदानों का विवरण जहां वर्ष के दौरान व्यय सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका, परिशिष्ट 3.12 में दिखाया गया है।

धन जो "लाभप्रद रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता" वित्तीय वर्ष समाप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना राजकोष में वापस आ जाना चाहिए। यह विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के समापन महीनों में व्यय की अतिवेग से बचने में मदद करेगा।

3.7 चयनित अनुदान की समीक्षा

वर्ष 2022-23 के लिए, अनुदान संख्या 19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा अनुदान संख्या 24- लोक निर्माण- सडकों एवं पुलों से संबंधित व्यय को निर्धारित बजटीय प्रक्रियाओं के अनुपालन, निधियों की निगरानी, नियंत्रण तंत्र और अनुदान के भीतर योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए विस्तृत लेखा परीक्षा के लिए चुना जाता है। अनुदान समीक्षा के निष्कर्षों पर आगे की कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

3.7.1 अनुदान सं. 19 - लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के लोगों को समर्पित निवारक, प्रोत्साहक और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने की परिकल्पना करता है। राज्य के लोगों के लिए पर्याप्त, गुणात्मक, निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना।

इसके अलावा, इस अनुदान के तहत चार प्रमुख शीर्ष अर्थात् 2071- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ,

2210— चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, 2211— परिवार कल्याण और 4210— चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय संचालित किए जाते हैं।

3.7.1.1 बजट और व्यय

तीन वर्ष की अवधि वर्ष 2020–23 के दौरान इस अनुदान के तहत बजट प्रावधान, वास्तविक व्यय और बचत/अधिकता की समग्र स्थिति नीचे दी गई है।

तालिका 3.13: बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	प्रावधान	2020–21	2021–22	2022–23
राजस्व प्रावधान		2,621.89	3,269.93	3,118.95
1	व्यय	2,412.72	3,005.77	2,639.53
2	बचत	209.17	264.16	479.42
3	बचत (प्रतिशत)	7.98	8.08	15.37
पूंजीगत प्रावधान		188.76	69.26	46.52
4	व्यय	168.81	59.79	35.79
5	बचत	19.95	9.47	10.72
6	बचत (प्रतिशत)	10.57	13.67	23.04
कुल बजट प्रावधान		2,810.65	3,339.19	3,165.47
7	व्यय	2,581.53	3,065.56	2,675.32
8	बचत	229.12	273.63	490.14
9	बचत (प्रतिशत)	8.15	8.19	15.48

स्रोत : विनियोग लेखे 2020–23

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष 2020–23 की अवधि के दौरान कुल बजट प्रावधान के प्रतिशत के रूप में बचत 8.15 से 15.48 प्रतिशत तक थी। लगातार बचत वास्तविक जरूरतों के गलत मूल्यांकन का संकेत है और इसके लिए विभाग की बजट तैयारी की कवायद की समीक्षा की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, तीन वर्षों के दौरान पूंजीगत बजट प्रावधान के साथ-साथ पूंजीगत व्यय में लगातार कमी आई जो चिकित्सा अवसंरचना के सृजन के लिए पूंजीगत कार्यों के लिए प्राथमिकता का आबंटन न किए जाने का संकेत देता है।

3.7.1.2 योजनाओं के तहत पर्याप्त राशि का उपयोग न करना

वर्ष 2022–23 के दौरान निम्नलिखित योजनाओं में संपूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग न होना दर्शाता है कि बजट प्रक्रिया और योजना की आवश्यकताओं का आकलन अवास्तविक था। संपूर्ण बजट प्रावधान की बचत का विवरण तालिका 3.14 में दिखाया गया है।

तालिका 3.14: पर्याप्त राशि का उपयोग न करना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना प्रमुख – नाम	मूल बजट	वास्तविक व्यय	पुनः विनियोजित समर्पण
1	4210 –2–101–101–620– उप स्वास्थ्य केंद्र	4.00	शून्य	4.00
2	2210 –3–110–701–6611– प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन	37.84	शून्य	37.84
3	2210 –3–110–704–6611– प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन	25.22	शून्य	25.22
4	2210 –1–110–701–6612– राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	11.86	शून्य	11.86
5	2210 –1–110–704–6612– राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	7.91	शून्य	7.91
6	2210 –6–200–801–6613– 15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान	227.00	शून्य	227.00

स्रोत : विभाग द्वारा प्रदान किया गया विनियोग खाता

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग से शून्य व्यय के कारण अभी भी लंबित हैं (दिसंबर 2023)।

3.7.1.3 किए गए प्रावधानों पर अधिक व्यय

म.प्र. बजट मैनुअल (छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अपनाया गया) के अनुसार, नियंत्रण अधिकारी किए गए व्यय की प्रगति की निगरानी और स्वीकृत आवंटन के भीतर व्यय रखने के लिए जिम्मेदार है। अनुदान 19 की लेखा परीक्षा जांच के दौरान, यह देखा गया कि तालिका 3.15 में दिखाए गए निम्नलिखित शीर्षों के तहत, व्यय बजटीय प्रावधान से अधिक था।

तालिका 3.15: किए गए प्रावधानों पर अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)					
क्र. सं.	शीर्ष वर्गीकरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल व्यय	अतिरिक्त व्यय
1	19- 2210- 03- 197- 101- 5998- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	152.18	0.00	197.94	45.76
2	19- 2210- 03- 198- 101- 620- उप स्वास्थ्य केंद्र	87.81	0.00	116.66	28.85
3	19- 2210- 03- 198- 101- 2777- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	330.69	0.00	334.48	3.79

स्रोत : विनियोग लेखे 2020-23

इस पर ध्यान दिए जाने पर, निदेशक स्वास्थ्य सेवा ने कहा (अक्टूबर 2023) कि योजना शीर्ष 5998- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 0620- उप स्वास्थ्य केंद्र और 2777- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत, अतिरिक्त व्यय विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण था।

3.7.1.4 निधियों का कम उपयोग

लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि तालिका 3.16 में दिखाए गए निम्नलिखित शीर्षों के तहत, उपयोग की गई निधियों का प्रतिशत कुल बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से कम था। यह खराब बजटीय अनुमान या प्रदर्शन में कमी या दोनों का संकेत है।

तालिका 3.16: निधियों का कम उपयोग

(₹ करोड़ में)					
क्र. सं.	शीर्ष वर्गीकरण	कुल प्रावधान	कुल व्यय	उपयोग (%)	बचत (%)
1	19-2210-03-197-101-748- औषधालय	3.76	1.69	45.03	54.97
2	19-2210-06-102-0-1070- खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम (खाद्य प्रयोगशालाओं सहित)	16.91	7.88	46.59	53.41
3	19-2211-00-1-704-1508- जिला स्तरीय कर्मचारी	1.21	0.22	18.15	81.85
4	19-4210-02-103-101-2777- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	3.56	1.49	41.76	58.24
5	19-2210-06-200-101-6363- मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना	25.00	5.00	20.00	80.00

स्रोत : विनियोग लेखे 2022-23

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, निदेशक स्वास्थ्य सेवा ने (अक्टूबर 2023) विभिन्न योजना प्रमुखों के तहत निम्नलिखित कारण बताए

- 0748- औषधालय – निधियों का कम उपयोग मुख्यतः कम वेतन व्यय के कारण होता था क्योंकि पद रिक्त थे और निधियों का उपयोग सामान्यतः अन्य व्यय शीर्षों में मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए किया जाता था।
- 1508- जिला स्तरीय कर्मचारी – पीएफएमएस पोर्टल में इस योजना की मैपिंग की प्रक्रिया चल रही है और पहली बार बजट में राज्य हिस्सेदारी की राशि के प्रावधान के कारण, अधीनस्थ संस्थानों द्वारा राज्य हिस्सेदारी की राशि खर्च नहीं की जा सकी। विभाग ने आश्वासन दिया कि अगले वित्तीय वर्ष में

मानदण्डों के अनुसार राशि खर्च की जाएगी।

- 2777— प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – इस अवधि के दौरान पूरे हुए तीन कार्यों के लिए ठेकेदार द्वारा अंतिम बिल प्रस्तुत न किए जाने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका। इस कारण व्यय बजटीय प्रावधान से कम दिखाया गया।
- 6363— मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना – मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अन्तर्गत विरल रोगों के उपचार हेतु ₹20 लाख की सहायता प्रदान की गई। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, लाभार्थी द्वारा आवेदन जमा करने के बाद, विशेष समिति की सिफारिश अनिवार्य है, इसलिए इस योजना के तहत राशि जारी करना और निकालना उठाई गई आवश्यकता के अनुसार था। विभाग ने इस मद में पर्याप्त प्रावधान रखना आवश्यक है और इस मद के अंतर्गत व्यय का सटीक पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है।

3.7.2 अनुदान संख्या 24 – लोक निर्माण— सड़क और पुल

लोक निर्माण विभाग, संक्षेप में पीडब्ल्यूडी, छत्तीसगढ़ सरकार के लिए राज्य में सड़कों, पुलों और सरकारी भवनों के निर्माण के लिए एक विभाग, पेशेवर सलाहकार और एजेंसी है। इंजीनियर-इन-चीफ बजट-नियंत्रण अधिकारी (बीसीओ) और विभाग का प्रमुख होता है जो सरकार को फंड, योजना और नीति निर्माण के उपयोग के लिए जिम्मेदार होता है और सरकार से इसकी मंजूरी प्राप्त करता है।

इसके अलावा, इस अनुदान के तहत पांच प्रमुख शीर्ष अर्थात् 2049— ब्याज भुगतान, 3053— नागरिक उड्डयन, 3054— सड़क और पुल, 5053— नागरिक उड्डयन पर पूँजीगत परिव्यय और सड़कों और पुलों पर 5054— पूँजीगत परिव्यय संचालित किए जाते हैं।

3.7.2.1 बजट और व्यय

इस अनुदान के तहत तीन वर्ष की अवधि 2020–23 के दौरान बजट प्रावधान, वास्तविक व्यय और बचत/अधिकता की समग्र स्थिति नीचे दी गई है।

तालिका 3.17: बजट और व्यय

		(₹ करोड़ में)		
क्र.सं.	प्रावधान	2020–21	2021–22	2022–23
राजस्व प्रावधान		1,191.99	1,090.63	1,198.53
1	व्यय	786.14	636.62	660.96
2	बचत	405.85	454.01	537.56
3	बचत (प्रतिशत)	34.05	41.63	44.85
पूँजीगत प्रावधान		1516.00	1,557.91	1,777.51
4	व्यय	1059.32	1,415.34	1,386.43
5	बचत	456.68	142.57	390.55
6	बचत (प्रतिशत)	30.12	9.15	21.97
कुल बजट प्रावधान		2,707.99	2,648.54	2,976.04
7	व्यय	1,845.46	2,051.96	2,047.39
8	बचत	862.53	596.58	928.11
9	बचत (प्रतिशत)	31.85	22.52	31.19

स्रोत : विनियोग लेखा 2020–23

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष 2020–23 की अवधि के दौरान कुल बजट प्रावधान के प्रतिशत के रूप में बचत 22.52 से 31.85 प्रतिशत तक थी। यह वृहद् बचत वास्तविक जरूरतों के गलत आंकलन या प्रदर्शन में कमी या दोनों का संकेत है। इससे यह भी पता चलता है कि व्यय में पिछले वर्षों

के रुझानों पर विचार किए बिना ही बजट आवंटन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लगातार बचत हुई।

3.7.2.2 बजट प्रावधान का उपयोग न होना

वर्ष 2022-23 के दौरान इन योजनाओं में पूरे बजट प्रावधान का उपयोग नहीं होना दर्शाता है कि बजट प्रक्रिया और योजना की आवश्यकताओं का आकलन अवास्तविक था। संपूर्ण बजट प्रावधान की बचत का विवरण तालिका 3.18 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.18: बजट प्रावधान का उपयोग न करना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना शीर्ष	मूल अनुदान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोजित / समर्पण
1	24-5054-03-337-101-4557- सुदृढीकरण (सतह सख्ता)	25.77	शून्य	25.77
2	24-3053-60-102-7755- वीवीआईपी का दौरा	1.00	शून्य	1.00
3	24-3054-04-337-7985- ग्रामीण सड़कों का सुदृढीकरण	6.00	शून्य	6.00
4	24-3054-04-337-7986- ग्रामीण सड़कों का डामर	2.00	शून्य	2.00
5	24-5053-02-102-101-4727- एयर स्ट्रिप्स का निर्माण और विस्तार	0.40	शून्य	0.40
6	24-5054-03-337-101-8716- सेंट्रल रोड फंड	1.50	शून्य	1.50
7	24-5054-04-337-101-6484- मुख्यमंत्री गरसा विकास योजना	2.00	शून्य	2.00

स्रोत : विनियोग लेखा 2022-23

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर, विभाग ने (अगस्त 2023) निम्नलिखित कहा—

- 4557—सुदृढीकरण (सतही सख्तीकरण) व प्रशासनिक अनुमोदन में विलंब के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।
- 7755— वीवीआईपी का दौरा – संबंधित विभाग से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।
- 7985— ग्रामीण सड़कों का सुदृढीकरण और 7986— ग्रामीण सड़कों का डामर— प्रस्ताव स्वीकार न किए जाने के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।
- 4727 – हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार— संबंधित विभाग से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।
- 8716—केन्द्रीय सड़क निधि – भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण मुआवजे के मामले नहीं उठे थे, इसलिए निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।
- 6484 मुख्यमंत्री गरसा विकास योजना— योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश प्राप्त न होने के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।

3.7.2.3 अनावश्यक अनुपूरक बजट प्रावधान प्राप्त

अनुदान 24 की विस्तृत लेखा परीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि तालिका 3.19 में दिखाए गए निम्नलिखित शीर्षों के तहत, विभाग ने मूल बजट की तुलना में कम अंतिम व्यय करने के बावजूद पूरक प्रावधान प्राप्त किया।

तालिका 3.19: योजना प्रमुखों के तहत अनावश्यक अनुपूरक बजट प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना प्रमुख	मूल बजट	अनुपूरक बजट	अंतिम व्यय
1.	24-3054-04-337-7987- ग्रामीण सड़कों का नवीनीकरण	40.00	97.47	12.80
2.	24-3054-04-337-2227- नवीनीकरण	103.00	71.91	77.91
3.	24-3054-03-337-2227- नवीनीकरण	35.00	14.04	6.23

स्रोत : विनियोग लेखा 2022-23

इस ओर ध्यान दिए जाने पर, विभाग ने कहा (सितंबर 2023) कि उपरोक्त बजटीय प्रावधान दूसरे अनुपूरक बजट में किए गए थे और चूंकि ये प्रावधान वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में किए गए थे और बाद में प्रशासनिक अनुमोदन में देरी के कारण अंतिम व्यय कम हो गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अंतिम व्यय मूल बजट से भी कम था, इसलिए अनुपूरक प्रावधानों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी।

3.7.2.4 धन का कम उपयोग

अनुदान लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि तालिका 3.20 में दिखाए गए निम्नलिखित शीर्षों के तहत, उपयोग की गई निधियों का प्रतिशत कुल बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से कम था। यह खराब बजटीय अनुमान या प्रदर्शन में कमी या दोनों का संकेत है।

तालिका 3.20: निधियों का कम उपयोग (50% से कम)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष वर्गीकरण	बजट प्रावधान	व्यय	उपयोग (%)
1.	24-5054-04-337-101-5041-प्रमुख सड़कों का सर्वेक्षण	1.60	0.13	8.19
2.	24-5054-04-101-311-7976-जवाहर सेतु योजना	59.00	13.13	22.25
3.	24-2049-60-701-6464-निर्माण कार्यों के लिए सीजीआईडीसीएल द्वारा लिए गए ऋण के लिए ब्याज भुगतान	180.00	53.67	29.82
4.	24-5054-03-101-101-4151-प्रमुख पुलों का निर्माण	75.00	24.45	32.60
5.	24-5054-03-101-101-3775-रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण	90.85	32.76	36.06
6.	24-5054-04-337-311-6590- नाबार्ड सहायता प्राप्त अनुदान के तहत ग्रामीण सड़क का निर्माण	77.00	36.07	46.84
7.	24-5054-04-337-101-4557- सुदृढ़ीकरण (सतह सख्ता)	23.50	11.20	47.66

स्रोत : विनियोग लेखा 2022-23

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग ने (सितंबर 2023) निम्नलिखित कहा-

- 5041-प्रमुख सड़कों का सर्वेक्षण- प्रमुख सड़कों के सर्वेक्षण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन में विलंब के कारण कम उपयोग हुआ है।
- 7976-जवाहर सेतु योजना - नाबार्ड द्वारा ऋण स्वीकृत करने में विलंब और स्वीकृत कार्यों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन के कारण कम व्यय हुआ।
- 6464-छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (सी.जी.आर.आई.डी.सी.एल.) द्वारा निर्माण कार्यों के लिए लिए गए ऋण के लिए ब्याज भुगतान- चूंकि सीजीआरआईडीसीएल द्वारा कम ऋण (ऋण) लिया गया था, इसलिए ब्याज का वास्तविक भुगतान बजट प्रावधानों से कम था।
- 4151-बड़े पुलों का निर्माण- प्रशासनिक अनुमोदन में विलंब के कारण।
- 3775-रेलवे उपरिपुल का निर्माण - प्रशासनिक अनुमोदन में विलंब के कारण।
- 6590-नाबार्ड सहायता प्राप्त अनुदान के अंतर्गत ग्रामीण सड़क का निर्माण - नाबार्ड द्वारा ऋण स्वीकृत करने में विलंब और स्वीकृत कार्यों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन के कारण कम व्यय हुआ।

- 4557—सुदृढीकरण (सतही सख्तीकरण) – प्रशासनिक अनुमोदन में विलंब के कारण।

3.8 निष्कर्ष

पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार की बजटीय धारणाओं में सुधार हुआ है। बजटीय निधियों के उपयोग का प्रतिशत (89.01 प्रतिशत) पिछले वर्ष (87.37 प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान बढ़ा है।

बजट के निष्पादन और निगरानी के लिए बजटीय नियंत्रण तंत्र ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बचत में कटौती की जाती है, अनुदानों/विनियोगों के भीतर बड़ी बचतों को उचित पुनर्विनियोजन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और प्रत्याशित बचतों की पहचान की जाती है और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अभ्यपत की जाती है ताकि निधियों का उपयोग विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सके, अपर्याप्त था। इस प्रकार, केवल मार्च के महीने में ₹18,881.51 करोड़ की कुल बचत वापस कर दी गई।

वर्ष 2022-23 के दौरान एक अनुदान और दो विनियोगों से संबंधित ₹3,630.60 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को राज्य विधानमंडल से नियमित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, वर्ष 2000-01 से वर्ष 2021-22 तक नियमितीकरण के लिए कुल ₹17,436.39 करोड़ रुपये लंबित हैं।

पूरक अनुदान/विनियोजन पर्याप्त औचित्य के बिना प्राप्त किए गए थे। बचत को न तो समय पर सरेंडर किया गया और न ही आवंटन की तुलना में व्यय में भिन्नता के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को स्पष्टीकरण दिया गया। विभागों को न तो निरंतर बचत के प्रति आगाह किया गया था; न ही उनके बजट आवंटन को अवशोषित करने की उनकी क्षमता में परिवर्तन पाया गया।

इसके अलावा, प्रशासनिक विलंब अनुदान 24-लोक निर्माण- सड़क और पुलों में कम व्यय का एक प्रमुख कारण था। इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों में पूंजीगत बजट प्रावधान के साथ-साथ पूंजीगत व्यय में लगातार कमी आई थी, जो अनुदान 19- सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में चिकित्सा बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पूंजीगत कार्यों को प्राथमिकता का आवंटन नहीं करने का संकेत देता है।

3.9 अनुशंसाएं

- राज्य सरकार को विभागों की आवश्यकताओं और आवंटित संसाधनों का उपयोग करने की उनकी क्षमता के विश्वसनीय पूर्वानुमानों के आधार पर एक यथार्थवादी बजट तैयार करने की आवश्यकता है।
- बजट के समुचित कार्यान्वयन और निगरानी को लागू करने के लिए सरकार द्वारा एक उपयुक्त नियंत्रण तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बचत में कटौती हो, अनुदानों/विनियोगों के भीतर बड़ी बचत को नियंत्रित किया जाए और प्रत्याशित बचत की पहचान की जाए और विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर वापस कर दिया जाए ताकि निधियों का उपयोग विकासात्मक प्रयोजनों के लिए किया जा सके।
- विधानमंडल द्वारा अनुमोदित अनुदानों पर अधिक व्यय विधायिका की इच्छा का उल्लंघन है। इसलिए, 2000-01 से 2022-23 की अवधि के दौरान अनुदान/विनियोग पर अतिरिक्त व्यय को जल्द से जल्द नियमित करने की आवश्यकता है।
- नियंत्रक अधिकारियों को बजट के उचित विश्लेषण और सार्थक विनियोग खातों को तैयार करने की सुविधा के लिए आवंटन से व्यय में भिन्नता की व्याख्या करने के लिए उनकी जिम्मेदारी से अवगत कराया जाना चाहिए।